बजट

वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट एमआईसी से किया गया पारित

पारित बजट से जल्द ही शहर लेगा महानगर का स्वरूप : महापौर

राइट टाउन में व्यवसायिक मल्टी स्टोरी का होगा निर्माण

महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने दीदी कैफे और पालनाघर की होगी शुरूआत

नवभारत,जबलपुर। राइट टाउन स्थित अधिग्रहित 25 हजार वर्गफुट की जमीन पर कामर्शियल मल्टीस्टोर कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जायेगा, जिससे निगम की आय में भारी बढ़ोत्तरी होगी। इसके साथ-साथ नागरिकों को आवारा श्वानों से राहत प्रदान करने 100 प्रतिशत बधियाकरण पर फोकस करने के अलावा डेली नीड्स की दुकानें खोली जायेगीं और स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेगें। वहीं नर्मदा प्रसादम मार्केट के साथ स्वयं सेवी संस्थाओं के महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने दीदी कैफे और पालनाघर की भी शीघ्र शुरूआत होगी। ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में बजट पारित करने के साथ-साथ लिए गए।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित आय-व्यय बजट शहर के नागरिकों की सुविधाओं में व्यापक बढ़ोत्तरी करने एवं शहर का समग्र विकास करने तथा शहर को सुन्दर शहर बनाने की कल्पना हो साकार करने बड़ी सोच एवं विजन के साथ तैयार किया गया बजट महापौर जगत बहादुर सिंह "अन्नू" की अध्यक्षता में आयोजित एम.आई.सी. बैठक में पारित किया गया। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट पिछले वर्ष से और बेहतर एवं व्यवस्थित बजट होगा। इस बजट से बहुत शीघ्र ही शहर महानगर का स्वरूप लेगा और शहर की सुन्दरता में चार चांद लगेगा। इस दौरान महापौर ने ये भी कहा कि नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने तथा शहर की उन्नति की ओर बढ़ाने वाला यह बजट हमारे देवतुल्य नागरिकों के लिए पिछले वर्ष के बजट से इस वर्ष बेहतर बजट कहलायेगा।

इन चौराहों का किया गया नामकरण

इसके साथ-साथ शताब्दीपुरम स्थित चौक का नाम आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी चौक, छोटा फुहारा से सूजीपुरा मार्ग का नाम श्री चिंतामन साहू जी मार्ग, श्री तारण-तरण दिगम्बर जैन चैत्यालय परिसर के सामने पी.के. कार्नर से आस्था लैब तक के मार्ग का नाम संत तारण-तरण मार्ग एवं गढ़ा बाजार वाले मुख्य मार्ग से श्रीराम लीला मैदान की ओर जाने वाले मार्ग को श्रीरामलीला मार्ग के नाम से नामकरण नामकरण करने के प्रस्ताव को एम.आई.सी. से पारित किया गया। एम.आई.सी. की बैठक में मेयर इन काउंसिल के सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी, दामोदर सोनी, अंशुल राघवेन्द्र यादव, रजनी कैलाश साहू, निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के साथ, अपर आयुक्त अरविंद शाह, विद्यानंद बाजपेयी, मनोज श्रीवास्तव के साथ विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

नवोदय स्कूल में नहीं मिल रहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ

जबलपुर। जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर जवाब पेश करने के आदेश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है। जबलपुर की सिहोरा तहसील निवासी नव्या तिवारी के पिता धीरज तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं में दाखिले के लिए ईओडब्ल्यू श्रेणी में आवेदन किया था। उसे जानकारी दी गयी कि दाखिले में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई प्रावधान नहीं है। दाखिले संबंधित नोटिफिकेशन में भी ईडब्ल्यूएस कोटे का उल्लेख नही किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ पैरवी करते हुए अधिवक्ता अधिवक्ता विशाल मिश्रा ने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किये जाने का नोटिफिकेशन साथ 2019 में जारी किया गया था।

नोटिस का जवाब देने की बजाय प्रोफेसर ने दे दिया इस्तीफा

नवभारत,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. विवेक मिश्रा ने नोटिस का जवाब देने के बजाय इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद से विश्वविद्यालय में इस मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार प्रो. मिश्रा को युवा उत्सव आयोजन से जुड़े मामले में शोकॉज नोटिस दिया गया था। लेकिन उस नोटिस का जवाब देने के बजाय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन अब उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी कर रहा है।

इस्तीफे में विवि प्रशासन को लगाए आरोप

जानकारी के अनुसार प्रो. मिश्रा ने दिए अपने त्यागपत्र में विश्वविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक व्यवहार और असहयोग को इस्तीफे का मुख्य कारण बताया है। उन्होंने इस्तीफा में लिखा है कि आत्म सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, वे अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यभार से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहे हैं,ऐसे माहौल में उनके लिए पद पर बने रहना संभव नहीं था।

इस मामले में जारी हुआ था नोटिस

उल्लेखनीय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नवंबर माह में आयोजित अंतर जिला (विश्वविद्यालय स्तर) युवा उत्सव-2025 के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रतिभागियों को हुई परेशानियों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. विवेक मिश्रा को नोटिस जारी किया था। नोटिस में आयोजन के दौरान हुई वित्तीय और व्यवस्थागत कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

32 लाख के चेक और लाखों का सामान चोरी

पड़ोसी दुकानदारों की करतूत सीसीटीवी में कैद पिता-पुत्र पर प्रकरण दर्ज

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत विक्टोरिया अस्पताल के सामने स्थित हितकारिणी मार्केट में एक महिला व्यवसायी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए बगल के ही दुकानदार पिता-पुत्र ने दुकान के बाहर रखा कीमती सामान और 32 के चेक पार कर दिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पंचशील नगर निवासी सुखप्रीत कौर रैत (36) की हितकारिणी मार्केट में होम अप्लायंसेस की थोक दुकान है, सुखप्रीत 1 फरवरी को व्यापारिक कार्य से दिल्ली गई थीं। 2 फरवरी की रात करीब 8 बजे उनके भाई हरमीत सिंह और कर्मचारियों ने दुकान बढ़ाई थी। अगले दिन सुबह जब भाई दुकान पहुँचा, तो शटर का एक ताला खुला मिला और गैलरी में रखा सामान गायब था। 6 फरवरी को दिल्ली से लौटने के बाद सुखप्रीत ने जब जांच की, तो पता चला कि न केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान, बल्कि उनकी दुकान के नाम पर जारी किए गए 32 लाख 30 हजार रुपये के तीन चेक भी गायब हैं। सुखप्रीत के बगल में स्थित हरे माधव इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक चंद्र कुमार चावला और राजा चावला से पुराने व्यापारिक संबंध थे, जिसके चलते उनके पास पड़ोसी की दुकान के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस मोबाइल पर था। जब सुखप्रीत ने फुटेज खंगाले, तो वह दंग रह गईं। 2 फरवरी की रात करीब 9 बजे चंद्र कुमार चावला और राजा चावला उनकी दुकान के बाहर रखा सामान चोरी कर अपनी दुकान हरे माधव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ले जाते हुए साफ नजर आ रहे थे। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने आर ओ के 2 बॉक्स, इंडक्शन का 1 बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर का 1 बॉक्स कूलर मोटर के 3 कार्टून, कूलर पंप के 2 कार्टून ,सीलिंग फैन के स्टेटर और मिक्सी बुश के कार्टून, हरे माधव इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा दिए गए 11.80 लाख, 8.20 लाख और 12.30 लाख के तीन चेक पार किए हैं। पुलिस ने अब आरोपी चंद्र कुमार चावला और राजा चावला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।